पत्रांक–3 / सी0एस0 / एम0–09 / विविध–2012 740

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

सभी जिलों के प्रभारी सचिव,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–23/06/26.

विषय : दिनांक–28.06.2026 को "पंचायत विकास दिवस" के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–8839, दिनांक 10.06.2026

महाशया / महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि पंचायतों के सतत् विकास हेतु प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में "पंचायत विकास दिवस" आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में दिनांक–28.06.2026 को राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में "पंचायत विकास दिवस" आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुंगेर जिला के चयनित ग्राम पंचायत से किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को प्रभावी एवं उद्देश्यपरक बनाये जाने हेतु सभी जिलों के प्रभारी सचिव को अपने–अपने आवंटित जिले के किसी एक पंचायत में भाग लिया जाना आवश्यक है।

अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि को जिला के प्रभारी सचिव के रूप में किसी एक पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

23/6/26

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

E:\Kamlesh\Jhabbu 2026.docx

ज्ञापांक–3 / सी0एस0 / एम0–09 / विविध–2012–110, दिनांक–23.06.26.

प्रतिलिपि–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। सभी जिलाधिकारियों से अनुरोध है कि पंचायत विकास दिवस के अवसर पर प्रभारी सचिव के जिला में पंचायत भ्रमण हेतु उनसे सम्पर्क स्थापित कर भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

23/6/26

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

E:\Kamlesh\Jhabbu 2026.docx

424

पत्रांक–2प/विविध–17–09/2026/8839/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मनोज कुमार, भा०प्र०स०
सचिव

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 10/6/2026

विषय : ग्राम पंचायत के सतत् विकास हेतु "पंचायत विकास दिवस" आयोजित करने के संबंध में।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के "ग्राम स्वराज" की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार/दायित्व सौंपे गये हैं। पंचायती राज संस्थाओं में सबसे सशक्त एवं सीधे ग्रामीणों से जुड़ी संस्था है "ग्राम पंचायत"। ग्राम पंचायत ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का एक सशक्त मंच है। ग्राम पंचायत महत्वपूर्ण स्वशासन इकाई है, जिसके माध्यम से ग्रामीण स्वयं अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु योजनाओं का चयन कर क्रियान्वित करते हैं। केंद्रीय एवं राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु विभिन्न माध्यमों से ग्राम पंचायत को सहयोग प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य नीतियों के प्रचार–प्रसार में ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

2. ग्राम पंचायत ग्रामीण समुदाय की भागीदारी के माध्यम से 2030 तक सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृत संकल्प है। सतत् विकास लक्ष्य के कुल 17 लक्ष्य हैं जिसे 9 थीमों में समाहित किया गया है। इन 9 थीमों में समाहित विषयों के विकास से ही ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र एवं सतत् विकास किया जा सकता है। यह तभी संभव होगा जब पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों, ग्राम सभा के सदस्यों, महिलाओं, युवाओं एवं अन्य हितधारकों की भागीदारी एवं उनके बीच सार्थक संवाद सुनिश्चित हो सके।

3. इस उद्देश्य की पूर्ति, विकास की किरणें सभी ग्रामीणों तक पहुँचाने एवं विकास कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को प्रत्येक ग्राम पंचायत में **"पंचायत विकास दिवस"** कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक

1. प्रत्येक माह के आखिरी रविवार को पूर्वा० 10 से 12 बजे तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में **"पंचायत विकास दिवस"** कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
2. उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु ग्राम सभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजी जायेगी।
3. उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संबंधित लोकसभा सदस्य, संबंधित राज्यसभा सदस्य, संबंधित विधानसभा सदस्य, संबंधित विधान परिषद् सदस्य को सूचना भेजी जायेगी।
4. ग्राम पंचायत के अन्तर्गत निवास करने वाली जीविका दीदी एवं आशा कार्यकर्त्ता को भी कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जायेगा।

आयोजन स्थल

1. **"पंचायत विकास दिवस"** का आयोजन पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन/विद्यालय/सामुदायिक भवन या किसी ऐसे सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होगा जहां सभी वर्ग के व्यक्ति एक साथ आसानी से बैठ सकें तथा रोशनी, पेयजल एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।
2. **"पंचायत विकास दिवस"** के आयोजन हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ, यथा–बैठने, पेयजल, हल्का जलपान, प्रसारण इत्यादि की व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा की जायेगी।

सूचना का प्रकाशन

1. **"पंचायत विकास दिवस"** हेतु आयोजित की जाने वाली बैठक की तारीख, समय एवं स्थान को अंतर्विष्ट करते हुए सूचना, कार्य सूची का ब्यौरा देते हुए 7 दिन पूर्व पंचायत सचिव के द्वारा प्रकाशित एवं प्रचारित की जायेगी।
2. ग्राम पंचायत में मुख्य स्थानों पर सूचना चिपकाया जायेगा।

लगातार.....

3. ध्वनि विस्तारक यंत्र से आयोजित होने वाली बैठक का प्रचार किया जायेगा।

4. ग्राम पंचायत सदस्यों/पंचों के द्वारा व्यक्तिगत संपर्क कर घर–घर जाकर आम लोगों को जानकारी दी जायेगी।

5. अन्य माध्यमों से भी, जैसा ग्राम पंचायत उचित समझे, प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

बैठक की अध्यक्षता

1. "पंचायत विकास दिवस" कार्यक्रम हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के मुखिया और उसकी अनुपस्थिति में उप मुखिया करेंगे। मुखिया एवं उप–मुखिया दोनों ही बैठक में अनुपस्थित हों तो ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जो बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्वाचित किया जायेगा।

2. संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव सचिव होंगे।

कार्य सूची

1. अध्यक्ष के द्वारा लगभग 5–10 मिनट उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः राष्ट्र/राज्य/जिला/स्थानीय संदेशों से ग्रामीणों को अवगत कराया जायेगा।

2. सर्वप्रथम विगत माह आयोजित की गयी बैठक की कार्यवाही के अनुपालन से सभी सदस्यों को अवगत कराया जायेगा।

3. e-Gram Swaraj Portal, e-Panchayat एवं अन्य पोर्टल पर प्रविष्टि किए गए योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी जायेगी।

4. ग्राम पंचायत के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं तथा आगामी माह में प्रारंभ किये जाने वाली योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जायेगी।

5. वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत को विभिन्न स्रोत से प्राप्त राशि, व्यय एवं अवशेष राशि से ग्रामीणों को अवगत कराया जायेगा।

6. विगत माह में ग्राम पंचायत के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में किये गये खर्च से ग्रामीणों को अवगत कराया जायेगा।

7. सतत् विकास लक्ष्य के 9 थीमों में से किसी एक थीम पर परिचर्चा की जायेगी। यदि प्रतिवेदित माह के आयोजित बैठक में थीम संख्या–1 पर चर्चा की जाती है तो आगामी माह की बैठक में थीम संख्या–2 पर चर्चा की जायेगी। इस प्रकार चक्रानुसार प्रत्येक 9 थीम पर परिचर्चा की जायेगी एवं 10वें माह से पुनः थीम संख्या–1 पर परिचर्चा की जायेगी।

परिचर्चा संबंधित पंचायत के PAI (Panchayat Advancement Index) के आधार पर की जायेगी। जिस क्षेत्र में संबंधित पंचायत का PAI कम है उस क्षेत्र में विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा, ताकि पंचायत का समग्र रूप से विकास हो सके।

इस हेतु प्रशिक्षण सामग्री एवं सामग्री BSPRI के द्वारा तैयार कर मुहैया करायी जायेगी।

8. पंचायत विकास कार्यक्रम में राज्य के ऐसे पंचायतों जिसे सरकार या किसी अन्य संस्था के द्वारा पुरस्कार दिया गया है, या किसी पंचायत के द्वारा किसी खास क्षेत्र में विशिष्ट कार्य किया गया है, से संबंधित वीडियो का प्रदर्शन किया जायेगा। इससे ग्रामीणों को अपने पंचायत के विकास की प्रेरणा मिलेगी। इस हेतु BSPRI के द्वारा वीडियो तैयार कर पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. प्रायः अंतिम रविवार को मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा नागरिकों से सीधे संवाद किये जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री "मन की बात" कार्यक्रम में सामान्य नागरिकों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य संगठनों के द्वारा किये जा रहे अनेक कार्यों एवं प्रयासों की सराहना के साथ प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार साझा करते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजनाओं, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सौहार्द एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक सरोकारों से जुड़े विषयों पर दिये गये संदेशों से प्रेरित होकर ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में विशिष्ट योगदान कर सकती है। अतः माननीय प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुनने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

10. ग्राम पंचायत की आय के स्रोत की वृद्धि किये जाने के संबंध में भी परिचर्चा की जा सकेगी।

11. ग्राम पंचायत से संबंधित अन्य मुद्दे पर अध्यक्ष की सहमति से परिचर्चा की जायेगी।

कार्यवाही का अभिलेख

1. पंचायत सचिव के द्वारा कार्यवाही पंजी संधारित की जायेगी। पंचायत सचिव बैठक में उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर करायेगा या अंगूठे का निशान लगवायेगा। अध्यक्ष के द्वारा कार्यवाही हस्ताक्षरित की जायेगी।
2. बैठक से संबंधित निर्गत सूचना, बैठक का स्थान, बैठक की कार्यवाही, विगत माह के कार्यवाही का अनुपालन, संबंधित फोटोग्राफ्स/विडियो इत्यादि Nirnay पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

अनुश्रवण

1. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी अपने प्रखंड अंतर्गत पंचायतों में उक्त कार्यक्रम का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे। वे प्रत्येक माह प्रखंड अंतर्गत अलग–अलग पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
2. कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति भी प्रत्येक माह प्रखंड अंतर्गत अलग–अलग पंचायतों में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी उक्त कार्यक्रम दिवस पर पंचायतों का भ्रमण एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे
4. यदि किसी पंचायत में **"पंचायत विकास दिवस"** कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाता है, तो प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को दो दिनों के अंदर तत्संबंधी प्रतिवेदन भेजा जायेगा।
5. उक्त प्रतिवेदन के आलोक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी नियमानुसार संबंधित पदाधिकारी/कर्मी एवं निर्वाचित प्रतिनिधि के विरूद्ध कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।

राशि

"पंचायत विकास दिवस" पर होने वाला व्यय राज्य वित्त आयोग/केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

अनुरोध है कि **"पंचायत विकास दिवस"** कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु अपने स्तर से सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निदेश देने एवं सहयोग प्रदान करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

10/6/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/विविध–17–09/2026/8839/पं०रा० पटना, दिनांक 10/6/2026
प्रतिलिपि : सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/26

(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक : 2प/विविध–17–09/2026/8839/पं०रा० पटना, दिनांक 10/6/2026
प्रतिलिपि : निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

10/6/26

(मनोज कुमार)
सचिव